राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 411/2006

मदन सिंह रावल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, गृह विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर।
3. रिशाल सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह राम, आरपीएस C/o पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.06.2006
आदेश की दिनांक : 31.07.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक जोशी, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. पुष्पेन्द्र पाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी की नियुक्ति प्लाटून कमांडर के पद पर आदेश द्वारा दिनांक 26.06.1980 को हुई थी। अपीलार्थी की कंपनी कमांडर के पद पर आदेश दिनांक 31.12.2000 द्वारा हुई थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.03.1997 द्वारा पुलिस निरीक्षक/कंपनी कमांडर की कॉमन वरिष्ठता सूची जारी की गई थी जिसमें अपीलार्थी का नाम सहवन से क्रम संख्या 363 पर अंकित किया गया था। अपीलार्थी द्वारा उक्त वरिष्ठता सूची के विरूद्ध माननीय अधिकरण में अपील संख्या 830/1997 दायर की थी। माननीय अधिकरण के आदेश 19.07.1999 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को 3 माह में समस्त प्रमाणिक लाभ दिए जाने के निर्देश दिए थे। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिकरण के आदेश दिनांक 19.07.1999 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन 6199/1999 दायर की इसमें पारित आदेश दिनांक 18.02.2000 द्वारा अपील खारिज कर दी गई। (अनुलग्नक–2) अधिकरण के आदेश की अनुपालना में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा वर्ष 1988–99 एवं 1999–2000 राजस्थान पुलिस सेवा के कनिष्ठ वेतन श्रृखला में पदोन्नत किया गया है। (अनुलग्नक–3) जिसमें अपीलार्थी को कोई लाभ नहीं दिया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के उक्त चयन के विरूद्ध माननीय अधिकरण

में अपील संख्या 886 व 887 दायर की गई। जिसमें पारित आदेश दिनांक 14.11.2003 के द्वारा वर्ष 1996–97 की रिक्तियों हेतु आयोजित विभागिय पदोन्नति समिति की बैठक को रिव्यू किया जावे तथा समस्त प्रमाणिक लाभ दिए जावे। (अनुलग्नक–5) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 11.07.2005 (अनुलग्नक–6) के द्वारा दिनांक 01.04.1998 की स्थिति अनुसार पुलिस निरीक्षक/ कंपनी कमांडर के पद पर वरिष्ठता सूची जारी की गई जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 310 पर अंकित किया गया। वर्ष 1996–97 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक का पुनर्वालोकन किया गया जिसमें अपीलार्थी की पदोन्नति हेतु अपीलार्थी को वर्ष 1996–97 में परिनिंदा के लघु दण्ड दिए जाने पर विचार नहीं किया गया। अपीलार्थी द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 06.09.2005 को विधिक नोटिस देकर राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. संख्या डब्ल्यू.एल.सी. 2004 (यू.सी.) पेज 327 में पारित आदेश का उद्वरण देकर बताया कि माननीय न्यायालय ने परिनिंदा के दण्ड पदोन्नति में बाधक नहीं होता है। (अनुलग्नक–7) प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 21.12.2005 द्वारा वर्ष 1996–97 से 2002–2003 की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकों का पुर्नावलोकन किया गया। जिसके द्वारा अपीलार्थी को वर्ष 1996–1997, 1997–98,1999–2000 की रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति हेतु विचार नहीं किया गया अपीलार्थी को वर्ष 2001–02 रिक्ति के विरूद्ध पदोन्नति प्रदान की गई। वर्ष 1996–97 रिक्तियों के विरूद्ध राजस्थान पुलिस सेवा की कनिष्ठ वेतन श्रृखला में आदेश दिनांक 29.09.1997 (अनुलग्नक–9) द्वारा पूर्व में 65 कार्मिकों को पदोन्नत किया गया था संशोधित आदेश द्वारा वर्ष 1996–97 में 70 कार्मिकों का चयन किया गया था जिसमें क्रम संख्या 70 पर निरीक्षक रतन लाल (एससी) का चयन किया गया था जो कि दिनांक 11.07.2005 को जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 309 पर अपीलार्थी से पहले नाम था।

अपीलार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटीसन संख्या 3306/2006 दायर की जिसमें माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 11.05.2006 (अनुलग्नक–10) के द्वारा अपील खारिज करते हुए माननीय अधिकरण में अपील दायर करने का निर्देश दिए गए थे। जिसकी अनुपालना में उक्त अपील दायर की थी।

अपीलार्थी द्वारा दिनांक 29.09.1997 को जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 155 पर रिशाल सिंह का नाम था को दिनांक 21.12.2005 को जारी वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 50 पर वर्ष 1996–97 की रिक्ति के विरूद्ध चयन करते हुए शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। वर्ष 1997–98 में रोस्टर अनुसार चार (एससी) कार्मिकों

का चयन किया गया है के स्थान पर 5 एससी कार्मिकों का चयन किया जाना चाहिए था। वर्ष 1998–99 में अनुसूचित जाति का एक भी कार्मिक का चयन नहीं किया गया है जबकि एक एससी कार्मिक का चयन होना चाहिए था। इसी प्रकार वर्ष 1999–2000 में 43 पदों के विरूद्ध तीन अनुसूचित जाति के कार्मिकों का चयन किया गया था जबकि 100 प्रतिशत रोस्टर के अनुसार सात कार्मिकों का चयन किया जाना चाहिए था। वर्ष 2000–2001 मे 22 पदों के विरूद्ध अनुसूचित जाति के एक भी कार्मिक का चयन नहीं हुआ है जबकि रोस्टर के अनुसार एक कार्मिक का चयन होना चाहिए था। इस प्रकार वर्ष 1997–98 के 2001–2002 तक 127 रिक्त पदों के विरूद्ध 7 अनुसूचित जाति के कार्मिकों का चयन किया गया है जबकि रोस्टर अनुसार 20 अनुसूचित जाति के कार्मिकों का चयन होना चाहिए था। उपरोक्त स्थिति अनुसार प्रत्यर्थी विभाग द्वारा आदेश दिनांक 21.12.2005 द्वारा वर्ष 1997–98 से लेकर 2000–2001 तक के पदोन्नति की गई थी को निरस्त किया जावे। तथा वर्ष 1997–98 की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोस्टर का पुनर्निधारण करते हुए विभागीय पदोन्नति समिति की वर्षवार रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जावे जिससे अपीलार्थी का पदोन्नति हो सके।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2003 की अनुपालना में आदेश दिनांक 21.12.2005 जारी किया गया है। जिसके अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 2001–02 की एस.सी. वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर पदोन्नति के आदेश जारी किए गए है जो पूर्णतयाः माननीय अधिकरण के निर्णय दिनांक 14.11.2003 की अनुपालना में जारी किया गया है।

यहां यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि श्री रिशाल सिंह को अपील संख्या 68/98 में माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.10.1998 की पालना में वर्ष 1996–97 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नति दी गई थी। अतः अपीलार्थी अब उक्त आदेश की अनुपालना में दी गई पदोन्नति आदेश को चुनौती नहीं दे सकता। जहां तक वर्ष 1997–98 से वर्ष 2001–02 की पदोन्नति का प्रश्न है कि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999–98 हेतु आयोजित डी.पी.सी. में केडर बेस रोस्टर के अनुसार अनुसूचित जाति के 5 पद आरक्षित रखे जाकर विचारणीय जोन में उपलब्ध पुलिस निरीक्षकों में से एस.सी. वर्ग के 4 पुलिस निरीक्षक योग्य पाए जाने पर नियमानुसार पदोन्नति दी गई। वर्ष 1998–99 में 5 रिक्तियों के लिए डी.पी.सी. का आयोजन किया गया था। विचाराधीन

जोन में एस.सी./एस.टी. के पदों को आगामी वर्षों के लिए अग्रेषित किया गया था। अपीलार्थी का नाम उक्त दोनों वर्षों में पात्रता सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण पदोन्नति नहीं दी गई थी। अपीलार्थी को वर्ष 1999–2000 में 5 पदों के विरूद्ध विचाराधीन जोन में दण्डित किए जाने के कारण पदोन्नति से वंचित रखा गया। तदुपरान्त वर्ष 2000–01 में विचारणीय जोन में एस.सी. संवर्ग के पु.नि. उपलब्ध नहीं होने पर पात्रता सूची में नाम सम्मिलित नहीं किया गया था। तदुपरान्त वर्ष 2001–02 में रिक्तियों में विचारणीय जोन में एससी संवर्ग के पद के विरूद्ध अपीलार्थी को पात्रता सूची में सम्मिलित कर माननीय अधिकरण के निर्णय अनुसार पदोन्नति के आदेश दिनांक 21.12.2005 द्वारा जारी किए गए है। जो पूर्णतया नियमों के अनुसार जारी किए गए है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति दिये जाने को चुनौती दी गई है किन्तु उक्त अधिकारियों/कार्मिकों को अपीलार्थी द्वारा अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलार्थी द्वारा जो प्रार्थना प्रस्तुत अपील में की गई है वह प्रभावित व्यक्तियों को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाये जाने से पोषणीय नहीं है। अपीलार्थी द्वारा अपील देरी से प्रस्तुत करने एवं समन के लिए कोई युक्तियुक्त एवं उचित कारण नहीं दर्शाया गया है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवश्यक पक्षकारों को पार्टी नहीं बनाये जाने के कारण खारिज फरमाए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अधिकरण के समक्ष अपील देरी से प्रस्तुत करने के कारण पोषणीय न होने से अपील खारिज फरमाई जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य